मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 22(A)254/MPS/31/167 भोपाल, दिनांक 13/01/2016

प्रति,

प्रमुख अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल (म.प्र.)

विषयः— बानसुजारा वृहद सिंचाई परियोजना के लिए विशेष पुनर्वास पैकेज की स्वीकृति।

——00——

मंत्रि–परिषद की बैठक दिनांक 05 जनवरी 2016 में टीकमगढ़ जिले की बानसुजारा वृहद सिंचाई परियोजना के लिए विशेष पुनर्वास पैकेज दिए जाने के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार विशेष पुनर्वास पैकेज की स्वीकृति प्रदान करता है :—

(अ) **उद्देश्य :—**

विशेष पुनर्वास पैकेज का उद्देश्य डूब क्षेत्र से प्रभावित परिवारों को उनकी भूमि/भवन/अचल सम्पत्तियों का उचित मूल्य देने और उनका युक्तियुक्त पुनर्वास सुनिश्चित करना है। विशेष पुनर्वास पैकेज के उद्देश्यों का विस्तार निम्नानुसार है :—

i. परियोजना का निर्माण कार्य निर्बाध एवं तीव्रगति से करते हुए आगामी 02 वर्षों में बांध निर्माण पूर्ण किया जाए ताकि परियोजना के लाभ से अपेक्षित पूर्ण सिंचाई लाभ आगामी 03 वर्षों में प्राप्त हो सके।

ii. परियोजना के डूब क्षेत्र से जिन परिवारों का विस्थापन होना है उनका पुनर्वास उनकी सहमति से और इस प्रकार किया जावे कि वे पहले से अच्छी स्थिति में आ सकें।

iii. परियोजना की डूब क्षेत्र में आनेवाली आबादी के पुनर्वास की प्रक्रिया सहज हो।

iv. परियोजना क्रियान्वयन में अनावश्यक (avoidable) कोर्ट–कचहरी की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

(ब) **एक मुश्त पुनर्वास पैकेज :—** डूब क्षेत्र की आबादी के पुनर्वास के लिए निम्नानुसार एकमुश्त पुनर्वास पैकेज दिया जाए :—

I. अर्जित किये जाने वाले मकान/भवन का कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य (सोलेशियम देय नहीं होगा) ;

तथा

II. शहरी क्षेत्र मे भूखण्ड दिए जाने की दशा में रू. 50,000/– (पचास हजार) एकमुश्त अनुदान।

अथवा

ग्रामीण क्षेत्र में भूखण्ड दिए जाने की दशा में रू.2.00 लाख (दो लाख) एकमुश्त अनुदान।

Dinesh/Letter

प्रपत्र - अ
(2)

अथवा

यदि पात्र परिवार भू-खण्ड नहीं लेना चाहते है तो रू.5.00 लाख (पाँच लाख) एकमुश्त पुनर्वास अनुदान ।

III. उपरोक्तानुसार एकमुश्त पुर्नवास अनुदान में परिवहन अनुदान एवं पुनर्वास आदि सभी के लिए देय राशि शामिल मानी जाएगी और इनके लिए पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।

2. उक्तानुसार विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ लेने के लिए इच्छुक विस्थापित परिवारों की लिखित सहमति संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जाए। लिखित सहमति प्राप्त होने की दशा में ही इस विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ देय होगा, अन्यथा नहीं।

3. परियोजना पर व्यय मांग संख्या 23/4700 (मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय) के अंतर्गत विकलनीय होगा।

संलग्न :- उक्तानुसार प्रपत्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(हस्ताक्षर) 12/1/16
(व्ही.एस.टेकाम)
उप सचिव
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

पृ. क्रमांक 22(A)254/MPS/31 /63
भोपाल, दिनांक 13/01/2016

प्रतिलिपिः—

(1) अपर मुख्य सचिव, वित्त/नर्मदा घाटी विकास विभाग भोपाल।
(2) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी/आदिम जाति कल्याण/कृषि विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
(3) आयुक्त, सागर संभाग, सागर।
(4) उप सचिव (बजट), मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
(5) मुख्य अभियन्ता (बोधी) जल संसाधन विभाग, भोपाल।
(6) मुख्य अभियन्ता, राजघाट नहर परियोजना, जल संसाधन विभाग, दतिया।
(7) कलेक्टर, टीकमगढ़।
(8) निज सचिव, मा. मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
(9) अधीक्षण यंत्री, राजघाट नहर मण्डल, झांसी।
(10) कार्यपालन यंत्री, बान सुजारा बाँध संभाग, टीकमगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया संलग्न शपथ पत्र/वचन पत्र में प्रभावित कृषकों से सहमति प्राप्त की जाए।
(11) वेब मैनेजर, कार्यालय परियोजना संचालक, पाइकू, जल संसाधन विभाग, भोपाल। कृपया आदेश विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करें।

(हस्ताक्षर) 12/1/16
उप सचिव,
म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग

174
23/1/16
21
19/1/16
T/S
3/12 2416
प्रस्तुत करें
COPY TO SDO 1 Bel
20/1

प्रपत्र - क

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 1194 की बिन्दु क्र. "क" की संलग्न जानकारी

स.क्र.	जिले का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नं.	कुल रकवा
1.	टीकमगढ़	टीकमगढ़	पुरैनिया	1	15.00 हे.
2.	---"---	---"---	दरगुवां	5,8,9,10,12,170/1,172,173,174, 175,178,205,206	16.874 हे.
3.	---"---	---"---	रसोई	526/1, 526/1/3, 526/2, 533/9, 534, 534/2, 535/3, 536/1, 536/4, 536/5, 536/7, 539, 540	13.80 हे.
4.	छतरपुर	बड़ामलहरा	फुटवारी	12/1, 33, 37/1/1/1, 37/1/2, 37/1/3, 37/1/4, 37/1/5, 37/1/6, 37/1/7, 37/1/8, 37/1/9, 37/1/10, 37/6, 59	31.863 हे.
5.	---"---	घुवारा	सरकना	257/5, 257/11, 257/13, 257/21	27.96 हे.

.../12/14

वास्ते मुख्य अभियंता
राजघाट नहर परियोजना दतिया